यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अल्मोड़ा के माह 04/2014 से 03/2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री दयाशंकर, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा दिनॉक 09.01.2017 से 17.01.2017 तक श्री डी0 एन0 मिश्रा, व0 लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. (अ) परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री विनीत निगम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.02.2015 से 12.02.15 तक श्री रणवीर सिंह, व0 लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2008 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखा परीक्षा में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– अल्मोड़ा जिला में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू0 लाख में)

	2013–14	2014–15	2015–16
प्रारम्भिक अवशेष	143.840	20.457	28.776
प्राप्ति 1. केन्द्रांश	460.047	614.928	717.533
2. राज्यांश	0	235.928	741.502
3. अन्य	166.390	272.610	93.900
कुल प्राप्ति	770.277	1143.923	1581.711
व्यय	749.820	1115.147	1411.243
अन्तिम अवशेष	20.457	28.776	170.468

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्दांश एवं राज्यांश मद के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अल्मोड़ा ब श्रेणी की है।

(iv) लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखा परीक्षा विधिः लेखा परीक्षा में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अल्मोड़ा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अल्मोड़ा की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2015 एवं माह 01/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। इकाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार योजनाओं का प्रतियचन किया गया।

(v) लेखा परीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग – **III**

1. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो–अ	भाग दो–ब	**STAN**
12/2005–06 (AB)	1	–	–
05/2007–08 (AB)	–	1,2	–
16/2008–09 (AB)	1,2	1,2	–
170/2014–15	–	1,2,3,4	–

2. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
..................................शून्य....................................				

भाग - IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य : लेखापरीक्षा दल द्वारा निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

भाग - V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अल्मोड़ा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) –शून्य–

(ii)

2. सतत् अनियमितताऐंः

(i) –शून्य–

3. लेखा परीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री आर0 बी0 मौर्य	अधिशासी अभियन्ता	01.04.14 से लगातार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रषित कर दी जायेगी की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उपमहालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

व0 लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र

भाग 2 ब

प्रस्तर 1:—रू0 48.32 लाख की धनराशियों का समायोजन/वसूल नहीं किया जाना।

इकाई की तुलन पत्र (बैलेन्स सीट) वर्ष 2015—16 की नमूना जांच में पाया गया कि कुल रू0 48.32 लाख मूल्य की धनराशियों को कई वर्षो से अन्य इकाईयों एवं ठेकेदारों से वसूल/समायोजित नहीं किया गया गया। विवरण निम्नवत है।

S.N.	**Account No**	**Name of Account**	**Balance up to 03/2016**	**Adjusted in 2016-17**	**Unadjusted Amount**
1	10600	Transaction with other division	3903185	Nil	3903185
2	12300	Payable to Contractors	395307	356085	39222
3	12201	Misc Deposits	584046	Nil	584046
4	42200	Receivable others	590983	285666	305317
	Total				**4831770**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर क्रमांक 1 एवं 2 के सम्बन्ध में विभाग ने उत्तर में बताया कि उक्त धनराशि के समायोजन की कार्यवाही की जा रही है। क्रमांक 3 के सम्बन्ध में बताया गया कि उक्त धनराशि ठेकेदारों के देयकों से काटी गई सैस की धनराशि है जोकि प्रतिमाह समायुक्त सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड हल्द्वानी को प्रेषित कर समायोजन की कार्यवाही की जा रही है एवं क्रमांक 4 में दर्शायी गयी धनराशि उ0प्र0 जल निगम लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित है जिनसे वसूली हेतु पत्र जारी किया जा चुका है।

विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि उपरोक्त दर्शायी गयी धनराशियां की वसूली अथवा उनका समायोजन अभी तक नहीं किया जा सका है। जोकि इकाई के पास लंबित पड़ीं है।

अतः रू0 48.32 लाख की धनराशियों का समायोजन/वसूल नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2:–रू0 657.38 लाख मूल्य की पेयजल योजनाओं की लेखा बन्दी न किया जाना।

इकाई के अन्तर्गत निर्मित पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 1990 से अद्यतन पूर्ण हो चुकी 12 पेयजल योजनाओं, जिन पर रू0 657.38 लाख का व्यय किया जा चुका है (विवरण निम्नवत) की लेखा परीक्षा अवधि तक लेखा बन्दी नहीं की गयी।

क0	पे0ज0 योजना का नाम	योजना की कुल व्यय धनराशि	कार्य पूर्ण होने का वर्ष	लेखाबन्दी सम्बन्धी अभ्युक्ति
1	सराउन्डिग बिलेज (एम0एन0पी0)	60.00	2010–11	कार्यवाही जारी
2	सकनिया कोट (एम0एन0पी0)	3.00	1990–91	विवादित
3	लमटाना अनुपूरक (एम0एन0पी0)	82.00	2012–13	कार्यवाही जारी
4	जैंती (एम0एन0पी0)	90.00	2012–13	कार्यवाही जारी
5	सेल्टाचापड़ (ए0आर0पी0)	41.72	2014–15	कार्यवाही जारी
6	पुभाऊं (ए0आर0पी0)	99.38	2009–10	कार्यवाही जारी
7	जाजर (ए0आर0पी0)	77.63	2012–13	कार्यवाही जारी
8	त्वरित प्राईमरी स्कूल (ए0आर0पी0)	30.00	2009–10	कार्यवाही जारी
9	जैंती (डेबटेल)	72.00	2012–13	कार्यवाही जारी
10	लमटाना (पी0एम0जी0एस0वाई0)	79.48	2012–13	कार्यवाही जारी
11	पटोरिया फार्म (डिपोजिट)	4.47	2009–10	कार्यवाही जारी
12	नौगांव एग्रीकल्चर (डिपोजिट)	17.70	2009–10	कार्यवाही जारी
		657.38		

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि उक्त योजनाओं की लेखा बन्दी की जा रही है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिकतम 20 एवं न्यूनतम 01 वर्ष पूर्व पूर्ण हुई योजनाओं की लेखाबन्दी इकाई द्वारा लेखा परीक्षा तिथि तक पूर्ण नहीं की जा सकी।

अतः रू0 657.38 लाख मूल्य की पेयजल योजनाओं की लेखा बन्दी न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।